E-mail

बिहार सरकार

निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक–..............................

संचिका सं०–8 / आ0 (मु0राज0उ0)–6–02 / 2014 ......693....... / श्री आनन्द कुमार, तत्कालीन अधीक्षक उत्पाद, अररिया सम्प्रति सहायक आयुक्त उत्पाद, रोहतास द्वारा दिनांक 13.09.2012 को निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग से संबंधित राज्य स्तरीय समीक्षात्मक बैठक में भोजन अवकाश के दौरान बैठक में उपस्थित विभागीय पदाधिकारियों के विरूद्ध अमर्यादित एवं आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करने के आरोप में अधिसूचना सं0–4576 दिनांक 21.09.2012 द्वारा दो वेतन वृद्धियाँ असंचयात्मक प्रभाव से अवरूद्ध करने का दण्ड अधिरोपित किया गया था। उक्त दण्डादेश के विरूद्ध श्री कुमार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में सी0 डब्लू0जे0सी0नं0–19778 / 2012 दायर किया गया। दिनांक 18.01.2013 को पारित न्यायादेश के आलोक में उक्त दण्डादेश को निरस्त करते हुए पुनः संकल्प सं0–1845 दिनांक 29.07.2013 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। उक्त विभागीय कार्यवाही में श्री कुमार के विरूद्ध आरोपो को आंशिक रूप से प्रमाणित पाते हुए लघु दण्ड के रूप में विभागीय अधिसूचना सं0–2197 दिनांक 27.05.2014 द्वारा दो वेतन वृद्धियॉ असंचयात्मक प्रभाव से अवरूद्ध करने का दण्ड अधिरोपित किया गया। श्री कुमार द्वारा पुनः सी0डब्लू0जे0सी0नं0–11128 / 2014 दायर किया गया। उक्त याचिका में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 01.12.2017 को आदेश पारित किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा ।विभागीय दण्डादेश सं0–2197 दिनांक 27.05.2014 को इस आधार पर निरस्त कर दिया गया है कि विभागीय कार्यवाही त्रृटिपूर्ण एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्वांत का उल्लंघन किया गया है। न्यायादेश निम्नप्रकार है:–

"Since the said order of punishment suffers from procedural lapse and been passed in violation of principles of natural justice, the same cannot be sustained and is quashed."

2. माननीय उच्च न्यायालय के न्यायादेश के आलोक में अधिसूचना सं0–2197 दिनांक 27.05.2014 को निरस्त किया जाता हैं।

3. इसमें सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0 / –
(अभय राज)
सरकार के विशेष सचिव
बिहार, पटना।

(6)

ज्ञापांक–9/आ0 (मु0राज0उ0)–6–02/2014......................../ पटना, दिनांक–..............................

प्रतिलिपिः–अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना/ई–गजट, वित्त विभाग को राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह0/–

सरकार के विशेष सचिव

बिहार, पटना।

ज्ञापांक–9/आ0 (मु0राज0उ0)–6–02/2014......693......../ पटना, दिनांक–....27.02.18....

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/अवर सचिव, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/विभागीय सचिव के आप्त सचिव/आयुक्त उत्पाद के आप्त सचिव/समाहर्त्ता, रोहतास/जिला कोषागार पदाधिकारी, रोहतास/प्रशाखा पदाधिकारी राजपत्रित स्थापना, प्रशाखा–05/आई0टी0 मैनेजर एवं श्री आनन्द कुमार, प्रभारी सहायक आयुक्त उत्पाद, रोहतास, सासाराम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/02/18

सरकार के विशेष सचिव

बिहार, पटना।